



जिला ग्रामीण विकास शाखा, पाकुड़

विज्ञापन संख्या- 01/2024-25

॥ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी आम सूचना ॥

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के अधिसूचना संख्या 1016 (अनु०)/ग्रा०वि०, दिनांक 01.03.2017 तथा Advt. No.: 10-PMAY-G-54/2016/1193/Gra.Vi., Ranchi, Date: 09-03-2017 के आलोक में पाकुड़ जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU हेतु पाकुड़ जिला के लिए स्वीकृत पद एवं आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। कोटिवार रिक्त पदों की संख्या एवं अहर्ता निम्नवत है :-

(क) जिला स्तर :-

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	उम्र सीमा	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
1	प्रशिक्षण समन्वयक	कुल-1 (UR)	22 से 45 वर्ष	35,000/-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।

(ख) प्रखण्ड स्तर :-

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	उम्र सीमा	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
1	प्रखण्ड समन्वयक	कुल-3 (UR-1, ST-2)	22 से 45 वर्ष	18,000/-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	कुल-5 (UR-2, ST-3)	18 से 30 वर्ष	10,000/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ छह माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण दक्षता अनिवार्य।

- उम्र सीमा :- उम्र की गणना 01/01/2025 के आधार पर की जाएगी।
- इच्छुक योग्य अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट <https://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर Online आवेदन दिनांक 05/03/2025 से दिनांक 29/03/2025 तक कर सकते हैं।

हस्ता

उपायुक्त,
पाकुड़।

ज्ञापांक 89 / जि०ग्रा०वि०शा०, दिनांक 25-2-2025,

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त आम सूचना को जिला के वेबसाइट pakur.nic.in में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त आम सूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रतिलिपि:- सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त नियुक्ति हेतु <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर ऑनलाईन फॉर्म आमंत्रित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

14/03/25

उपायुक्त,
पाकुड़।